

# कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म०प्र०  
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक/मा.चि./2024/

5544

रीवा दिनांक

12.07.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध)

वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल म०प्र०

विषय:-

सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में पाइप लाईन विद्यमान हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,सिंगरौली को उपयोग पर देने वावत्। (FP/MP/WATER/151757/2022)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/ 1207/2022/10-11/2669 दिनांक 30.06.2023
2. व०म०अ० सिंगरौली का पत्र क्रमांक/तक/4167 दिनांक 01.07.2024

-----000-----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जिसमें वन मण्डलाधिकारी,सिंगरौली द्वारा संदर्भित पत्र-2 से उक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	बिन्दु	जानकारी
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ 16-21/2020/2/34/(2951) दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area with full project KML file shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि KML file depicting Forest Area and Non Forest Area in Google Drive. <a href="https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web</a>
3	Justification for location of the project in forest land (Counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Justification for location of the project में वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा Counter signed किया गया है, जिसकी प्रति अपलोड की जाकर संलग्न की गई है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा एमपीआरडीसी सीधी का पत्र क्रमांक 2147 दिनांक 11.11.2022 एवं महाप्रबंधक,म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई बैदर, जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1253 दिनांक 05.08.2021 द्वारा अनापत्ति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदन के भाग-1 पैरा-डी में लेख किया गया है कि There is no alternative option is available
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि It is allready Shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned no, it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan shall be submitted.	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9	As per covering latter of proposal the CA area proposed over 20.80ha. but CA scheme is only for 17.00ha.	न्यायालय कलेक्टर,जिला सिंगरौली द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2022 से आराजी खसरा क्रमांक 245 रकबा 20.80 हे. भूमि उपलब्ध कराई गई थी किन्तु उसमें से 17.00 हे. रकबा ही उपयुक्त पाये जाने के

	also as per the DSS analysis, the proposed CA area has 7.00ha. VDF and 7.00ha. MDF. Thus revised CA scheme shall be submitted/uploaded.	कारण न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अ-20(3)/ 2022-23 दिनांक 26 जून 2024 से उक्त आदेश को संशोधित कर 17 हे. भूमि वन विभाग को प्रदाय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा DSS में 7 हे. VDF और 7.00ha. MDF. पाये जाने पर 17.00 गैर वन भूमि में 17.00 हे. घेराव तथा 3000 पौधे लगाये जाने की एवं 14.00 हे. वनभूमि में 14000 पौधे लगाये जाने की संशोधित रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक,रीवा वृत्त रीवा के आदेश क्रमांक 151 दिनांक 27.06.2024 से जारी की जाकर पोर्टल के भाग-2 में अपलोड किया गया है, प्रति संलग्न है।
10	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline does not proposed along the road. it shall be clarified.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि The proposed pipeline is applied under Non-ROW & CA land for the same is provided.
11	The proposed diversion area is part of elephant corridor so comments of CWLW M.P. shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि वन मण्डल सिंगरौली की वर्तमान प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा, भा.0व0से0 सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार प्रस्तावित भूमि हाथी कारीडोर में सम्मिलित नहीं है।
12	As per the KML of all four proposals ( FP/MP/ WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/ 151757/2022 and FP/MP/WATER/144394 /2022 and FP/MP/WATER/154848/2022) , it seems that all proposals are co related to each other why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 3 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.सं.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

रीवा दिनांक 12.07.2024

पृ0कमॉक/मा.चि./2024/ 5545

प्रतिलिपि-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. महाप्रबंधक, जल निगम भर्पादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.